GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.80
TO BE ANSWERED ON 9TH FEBRUARY, 2024

PLANS TO INCREASE CAPACITY OF WAREHOUSES

80 SHRI RAVICHANDRA VADDIRAJU:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government is planning to increase the present capacity of warehouses in the country and embarking on its implementation first in some selected districts in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any district in the State of Telangana has been selected for this purpose, if so, the details thereof; and

(d) the quantum of funds earmarked for this purpose and the funds released to States so far?

ANSWER
MINISTER OF COMMERCE & INDUSTRY, CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION AND TEXTILES
(SHRI PIYUSH GOYAL)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (d) OF THE STARRED QUESTION NO. *80 FOR ANSWER ON 09.02.2024 IN THE RAJYA SABHA

(a) to (d): Yes, Sir.

As far as, Department of Food & Public Distribution is concerned, as on 01.01.2024, covered storage capacity available with the Food Corporation of India (FCI) and State agencies for storage of Central Pool Food grain stock, for distribution through Public Distribution System is 762.36 Lakh MT against stored stock of 341.01 LMT.

The requirement of Storage capacity in FCI depends upon the level of procurement, requirement of buffer norms and PDS operations for mainly Rice and Wheat. FCI continuously assesses and monitors the storage capacity and based on the storage gap assessment, storage capacities are created/hired through following schemes:-

1. Construction of Silos under Public Private Partnership (PPP) mode
2. Private Entrepreneurs Guarantee (PEG) Scheme under PPP mode
3. Central Sector Scheme (CSS) "Storage & Godowns" focus on North East
4. Hiring of godown from CWCs/SWCs/State Agencies
5. Private Warehousing Scheme (PWS)
6. Creation of godowns under Asset Monetization.

Further, in order to address the shortage of storage capacity for food grains in the country, the Ministry of Cooperation, on 31.05.2023, has approved the Plan for the "World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector", which has been rolled out as a Pilot Project. The Plan entails creation of various agri infrastructure at Primary Agricultural Credit Societies(PACS) level, including warehouses, custom hiring center, processing units, Fair Price Shops, etc. through convergence of various existing schemes of the Government of India. Gambirraopet PACS of Karimnagar district in the State of Telangana is a part of the pilot project.

*****

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 80

09 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

गोदामों की क्षमता बढ़ाने की योजना

***80. श्री रविचंद्र वद्दीराजू:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में गोदामों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने और पहले देश के चुनिंदा जिलों में इसके कार्यान्वयन को प्रारंभ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेलंगाना राज्य में इस प्रयोजनार्थ किन्हीं जिलों का चयन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और राज्यों को अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

राज्य सभा में दिनांक 09.02.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): जी हां।

जहां तक खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का संबंध है, दिनांक 01.01.2024 तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु, 341.01 लाख टन के भंडारित स्टॉक की तुलना में, केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कवर्ड भंडारण क्षमता 762.36 लाख टन है।

भारतीय खाद्य निगम में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्यत: चावल और गेहूं के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों और पीडीएस प्रचालनों पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण क्षमता का निंरतर आकलन और मानीटरिंग की जाती है और निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण अंतर (स्टोरेज गैप) आकलन के आधार पर भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति (पीपीपी मोड) के तहत साइलोज़ का निर्माण।
2. पीपीपी पद्धति के तहत निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना ।
3. केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) 'भंडारण और गोदाम' - पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित।
4. केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5. निजी वेयरहाउसिंग योजना (पीडब्ल्यूएस) ।
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के अंतर्गत गोदामों का निर्माण।

इसके अतिरिक्त, देश में खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता से संबंधित कमी को दूर करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 31.05.2023 को पायलट परियोजना के रूप में "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" को अनुमोदित किया है। इस योजना में भारत सरकार की मौजूदा विभिन्न योजनाओं को समायोजित करके वेयरहाउसों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्रसंस्करण यूनिटों, उचित दर दुकानों आदि सहित प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) के स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचना के निर्माण पर बल दिया है। तेलंगाना राज्य में करीमनगर जिले के गंबीरावपेट पीएसीएस पायलट परियोजना का एक भाग है।

****

SHRI RAVICHANDRA VADDIRAJU: Sir, since the Government of India has approved plan for world's largest grain storage, what is the funding pattern between the Centre and the State Governments?

साध्वी निरंजन ज्योतिः माननीय सभापति महोदय, इन्होंने स्पेशियली तेलंगाना के संबंध में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि यह बहुत मजबूत व्यवस्था है।

MR. CHAIRMAN: You see, our women Ministers are thoroughly prepared. We have seen one here a while ago and one yesterday. Give her some time. She is always very thoroughly prepared. Please go ahead.

साध्वी निरंजन ज्योतिः माननीय सभापति महोदय, इन्होंने गोदामों की क्षमता के बारे में बात की है, तो मैं बताना चाहूँगी कि तेलंगाना के अंतर्गत भंडारण क्षमता बहुत है। हमारी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो भंडारण क्षमता होती है, वह पर्याप्त है। किराये के गोदाम के अंतर्गत कुल भंडारण क्षमता 14,07,000 टन है। इसके अतिरिक्त, राज्य एजेंसियों की 17,81,000 टन की क्षमता है, कुल मिलाकर, राज्य में 31,88,000 टन की भंडारण क्षमता है। अत: एकत्रीकरण और भंडारण में कोई कमी नहीं है। यदि ये जानना चाहेंगे, तो मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय खाद्य निगम के कुल गोदाम 11 हैं और 36 किराये पर हैं। राज्यों के पास सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए चार माह के खाद्यान्न आवंटन 4,24,000 टन के सापेक्ष एक साल की पर्याप्त भंडारण क्षमता है। यदि राज्य सरकार कोई प्राइवेट भंडारण क्षमता लगाना चाहे, तो वह लगा सकती है, इसमें केंद्र का रोल नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Ravichandra Vaddiraju.

SHRI RAVICHANDRA VADDIRAJU: Sir, my second supplementary question is that only one Gambhiraopet PACS of Karimnagar district in the State of Telangana has been taken up by the Government. Will the Government take up more PACS in Telangana as we are the highest paddy growing State?

साध्वी निरंजन ज्योतिः माननीय सभापति महोदय, हमारी क्षमता आगे और बढ़ सके, इसके लिए सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य मंत्रालय जैसे कृषि आदि मंत्रालयों से पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को अनुमोदित किया गया है। मुझे लग रहा है कि जिस जिले का नाम लिया गया है, वहां उसे बढ़ाया गया है और आवश्यकता पड़ेगी, तो केंद्र प्रदेश सरकार के साथ में है। ये पीपीपी मॉडल पर भी स्थापित किए जाते हैं, तो वे वहां स्थापित कर सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Dr. Ashok Bajpai.

डा. अशोक बाजपेयीः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गोदाम निर्माण कराने की जो हमारी क्षमता है, क्या कभी जनपदवार इस तरह का सर्वे कराया गया है कि वर्ष के दौरान प्रोक्योरमेंट में किस जनपद में खाद्यान्न की कितनी आवश्यकता है? भंडारण उसी के अनुरूप कराया जाए, जिससे कि आगे ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाल व्यय न हो। क्या इस संबंध में इस तरीके का कोई अध्ययन करा कर प्रोक्योरमेंट के लिए गोदामों का निर्माण किया जाता है?

साध्वी निरंजन ज्योतिः सभापति महोदय, मुझे इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि उसमें मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। शायद 2014 से पहले आम जनता में यह जानकारी थी कि खाद्य सामग्री बरबाद हो रही है, गेहूं सड़ रहा है, चावल बरबाद हो रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं कि आज देश के अंदर कहीं भी बरबादी नहीं हो रही है और लूट भी नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, जब पूर्वोत्तर में जाते थे, वहां गुवाहाटी के आगे सामग्री ले जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी और उसे रास्ते में लूट लिया जाता था। माननीय सभापति महोदय, आज कहीं भी ट्रक नहीं लूटा जा रहा है, ट्रेन से भी कोई चोरी नहीं हो रही है और खाद्य सामग्री किसी गोदाम में नहीं सड़ रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं। कल जब वित्त मंत्रालय के विषय पर चर्चा हो रही थी - मुझे लग रहा है कि आप मुझे संरक्षण देंगे, तो अच्छा रहेगा - तब एक विषय आया कि यदि 25 परसेंट लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, तो गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दिया जा रहा है? यह सवाल बार-बार आता है, चाहे मीडिया के सामने हो, चाहे सदन के अंदर हो। माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं उसकी भुक्तभोगी हूं। मैं कहना चाहती हूं कि माननीय प्रधान मत्री जी जो मुफ्त में राशन दे रहे हैं, वह राशन गरीबी के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उन गरीबों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए दिया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपना एक उदाहरण देना चाहती हूं। शायद यह आपको भी याद होगा सन् 1977 में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। मुझे याद है कि उस सूखे की चपेट में पूरा देश था। उस समय की सरकार ने मुफ्त में राशन नहीं दिया था, काम के बदले राशन दिया था। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूं कि जब पूरे विश्व के साथ हमारे देश को भंयकर कोरोना ने चपेट में लिया, उस समय उन्होंने देश के लोगों को राशन भी दिया और मनरेगा के तहत उनको काम भी दिया।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Phangnon Konyak.

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK: Sir, I think the Government, under the leadership of Prime Minister Modiji, has undertaken concentrated focus on development of the North-Eastern Region in all the sectors. My question pertains to

part (d) of the Question. I seek details from the Hon. Minister on the Central sector schemes regarding storage and godowns in the North-East.

साध्वी निरंजन ज्योतिः माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीया सांसद का बहुत सम्मान करती हूँ। 2014 के बाद जब मैं मंत्री बनी और गुवाहाटी गई, तो वहाँ कहीं भी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। सामान ट्रक से जाता था और बरसात हो गई, तो माल भी रास्ते में खराब हो जाता था। मैं स्वयं त्रिपुरा में गोडाउन देख कर आई हूँ, वहाँ अच्छे गोडाउन की व्यवस्था है। भारत सरकार किसी भी स्टेट में इसकी व्यवस्था के लिए कंजूसी नहीं कर रही है। अब अनाज बिचौलियों के बीच नहीं जा रहा है, अब अनाज लाभार्थियों के बीच जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे क्षेत्र में जब लोग बाहर जाते हैं, तो वे लौट कर बताते हैं कि दीदी, हम गुजरात में अपना राशन उठा लेते हैं। अब राशन में कहीं भी कोई घोटाला नहीं हो रहा है, बल्कि यह सीधे लाभार्थी के पास पहुँच रहा है।

सभा के नेता (श्री पीयूष गोयल): सर, लास्ट क्वेश्चन में हमारी नारी शक्ति ने पूरा सिक्सर मार दिया। इस लोक सभा के लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन का नारी शक्ति ने बड़ा ही जोरदार जवाब दिया।

MR. CHAIRMAN: I have already appreciated that the two Hon. Members, coming from the other gender as you would like to call, have responded impactfully, effectively and the House shares the sentiments. The House shares the sentiments. Shobha ji was talking as if she is an agriculturist. ...*(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: She is. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: She must be, and, of course, Madam was there. ...*(Interruptions)*... Question Hour is over.